# कृषि उपज मण्डी समिति, हमीरपुर जिला हमीरपुर क लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
# अवधि 4/2013 से 3/2015

## भाग–एक

### 1 प्रारम्भिक

**(क)** हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकी उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 48 (2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के ज्ञापन संख्या–1–487/99–फिन(एल0ए0) खण्ड–1–554, दिनांक 20.01.2000 के दृष्टिगत, कृषि उपज मण्डी समिति हमीरपुर के अवधि 4/2011 से 3/2013 के लेखाओं का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा किया गया।

**(ख) अंकेक्षण अवधि में निम्न विवरणानुसार अधिकारियों द्वारा संस्था में आहरण एवं वितरण अधिकारियों के रूप में कार्य किया।**

| क्र0 सं0 | कार्यकारी अधिकारी का नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री किशोर चन्द आजाद | 01.04.2013 से 06.12.2013 |
| 2 | श्री अनिल चौहान | 10.12.2013 से 31.03.2015 |

**(ग)** इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

**(घ) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–**

| क्र0 सं0 | विवरण | पैरा सं0 | राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | समिति की दुकानों का मासिक किराया देय तिथि तक जमा न करने पर भी उनमें जुर्माने की राशि न वसूलना | 5 | 0.40 |
| 2 | उप–यार्ड जाहू के गोदाम नम्बर 1 एवं 2 को किराए पर आवंटित न करने के फलस्वरूप हानि के सन्दर्भ में | 6 | 1.41 |
| 3 | चक पोस्ट में की गई सामग्री की प्रविष्टियों एवं व्यापारियों द्वारा रिटर्न में दर्शाई गई सामग्री की मात्रा में अन्तर बारे | 9 | – |
| 4 | हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकी उपज विपणन अधिनियम 2005 के नियम 45(3) के अनुसार मण्डी शुल्क की वसूली न करने बारे | 10 | 23.39 |
| 5 | दुकानों के किराये पर सेवा कर का समिति की आय से अनुचित भुगतान | 11 | 5.56 |

करना

**(ड.) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन**

कृषि उपज मण्डी समिति हमोरपुर द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति **परिशिष्ट–"क"** में दी गई ह।

## भाग–दो

## 2 वर्तमान अंकेक्षण

कृषि उपज मण्डी समिति हमीरपुर के अवधि 4/2013 से 3/2015 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 15.9.2015 स 6.10.2015 के दौरान हमीरपुर में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

| वित्तीय वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|
| 2013–14 | 9/2013 | 12/2013 |
| 2014–15 | 9/2014 | 4/2014 |

## 3 अंकेक्षण शुल्क

कृषि उपज मण्डी समिति हमीरपुर के अवधि 4/2013 से 3/2015 के लेखाअें के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क का आकलन ₹97737 का किया गया, जिसे समिति द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संख्या 202158 दिनांक 2.11.2015 द्वारा प्रेषित कर दिया है।

## 4 वित्तीय स्थिति

**(क)** कृषि उपज मण्डी समिति हमीरपुर द्वारा प्रस्तुत कृषि उपज मण्डी समिति की अंकेक्षणाधीन अवधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिनका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–"ख"** पर भी दिया गया है।

| वित्तीय वर्ष | 2013–14 | 2014–15 |
|---|---|---|
| प्रारम्भिक शेष | 11126660.11 | 13585540.11 |
| आय | 10378822.00 | 9692863.00 |
| ब्याज | 1026092.00 | 1166924.31 |
| योग | 22531574.11 | 24445327.42 |
| व्यय | 8946034.00 | 10601373.00 |
| **अन्तिम शेष** | **13585540.11** | **13843954.42** |

**(ख) दिनांक 31.3.2015 को विभिन्न बैंक खातों में शेष का विवरण निम्नलिखित है।**

| Particulars | | |
|---|---|---|
| Balance as per Cash Book | | 13843954.42 |
| Balance as per Pass Book | 1155062-11 | |
| Investment in FDR"S in 2014-15 | 12780055.31 | 13935117.42 |

**Bank Reconciliation Statemetn as on 31.3.2015**

| | |
|---|---|
| Balance as per Cash Book | 13843954.42 |
| Cheque issued but not presented for payment: | (+)103186.00 |
| Cheque No. 040020 Dt. 31.3.2015 Rs. 43200 | |
| Cheque No. 040021 Dt. 31.3.2015 Rs. 10000 | |
| Cheque No. 040022 Dt. 31.3.2015 Rs. 10000 | |
| Cheque No. 040023 Dt. 31.3.2015 Rs. 10000 | |
| Cheque No. 040024 Dt. 31.3.2015 Rs. 10000 | |
| Cheque No. 040025 Dt. 31.3.2015 Rs. 9990 | |
| Cheque No. 040026 Dt. 31.3.2015 Rs. 9996 | |
| Cheque No. 186513 Dt. 30.3.2015 on account of market fees amounting to Rs. 12023 was sent to ICICI bank but not credited | (-)12023.00 |
| Balance as per Pass Book/FDRS | **₹13935117.42** |

(ग) दिनांक 31.3.2015 तक सावधि जमा में निवेशित राशि निम्नलिखित है व जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट–"ग" मं भी दिया गया है।

| क्र0 सं0 | सावधि जमा सं0 | निवेश की तिथि | निवेश की राशि | परिपक्वता की तिथि | परिपक्वता की राशि | बैंक का नाम | ब्याज की दर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DP00001483 | 14.6.14 | 1102048.00 | 14.6.15 | 1204630 | PNB Dosarka | 9.00% |
| 2 | DP00007788 | 20.6.14 | 1000000.00 | 20.6.15 | 1093083 | PNB Dosarka | 9.00% |
| 3 | 730259 | 17.9.14 | 537912.00 | 17.9.15 | 588558 | UCO Bank HMR | 9.10% |
| 4 | 517109 | 12.10.14 | 835869.00 | 12.10.15 | 914568 | UCO Bank HMR | 9.10% |
| 5 | 47263 | 16.10.14 | 1913600.00 | 16.10.15 | 2093771 | UCO Bank HMR | 9.10% |
| 6 | 290780 | 31.10.14 | 1133097.00 | 31.10.15 | 1239781 | UCO Bank HMR | 9.10% |
| 7 | 1235619 | 20.12.14 | 1053732.31 | 20.12.15 | 1151817 | KCC Bank HMR | 9.00% |
| 8 | 1215921 | 1.1.15 | 5203797.00 | 1.1.16 | 5688184 | KCC Bank HMR | 9.00% |
| | कुल निवेशित राशि | | **₹12780055.31** | | | | |

5 **किरायेदारों द्वारा मण्डी समिति की दुकानों का मासिक किराया देय तिथि तक जमा न करने पर भी उनसे जुर्माने की ₹40560 न वसूलना**

जांच के दौरान पाया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2015 के दौरान किरायेदारों द्वारा समिति के यार्ड हमीरपुर, उप यार्ड नादौन व उप यार्ड जाहू के दुकानों के किराए की राशि को देय तिथि के उपरान्त देरी जमा करवाया गया था, लेकिन उनमें मण्डी समिति द्वारा अनबन्ध की शर्तों के अनुसार जुर्माने की राशि को न वसूल करके किरायेदारों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। किराये के अनुबन्ध के क्रम संख्या 3 के अनुसार प्रतिमाह किराये की देय राशियों को अग्रिम रूप में प्रत्येक माह की 7 तारीख तक या इससे पूर्व वसूल किया जाना अपेक्षित था अन्यथा इसके उपरान्त प्रत्येक माह में दिनांक 8 से 15 तक के मध्य किराये की राशि को जमा करने पर ₹100 जुर्माने के रूप में वसूलने अपेक्षित थे तथा दिनांक 15 के उपरान्त किराये की राशि को जमा करने पर ₹20 प्रतिदिन जुर्माने के रूप में वसूलने अपेक्षित थे। इस प्रकार विभिन्न किरायेदारों से वसूली योग्य जुर्माने की राशि का विवरण निम्न प्रकार से है।

**(क) मार्किट यार्ड हमीरपुर**

| किरायेदार का नाम | दुकान / बूथ संख्या | मासिक किराया | किराये के रजिस्टर की पृष्ठ संख्या | किराय के वसूली की दिनांक | जुर्माने की राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| मै. नन्द लाल रमेश कुमार | 1 | 2015 | 4.5 | 8.4.13, 9.4.14, 12.5.14, 8.8.14 8.9.14, 8.12.14 | 6x100=600 |
| मै. सुरेश कुमार मोहन | 2 | 2015 | 8 | 8.4.13, 8.1.14, 9.4.14, 12.5.14, 8.8.14, 8.9.14, 8.12.14 | 7x100=700 |
| मै. जगदीश लाल अनिल कुमार | 3 | 2015 | 11 | 8.4.13, 8.1.14, 9.4.14, 12.5.14, 8.9.14 | 5x100=500 |
| मै. केवल कृष्ण कंपनी | 4 | 2015 | 14 | 8.4.13, 8.9.13, 9.4.14, 12.5.14, 8.8.14, 8.9.14, 9.10.14, 8.12.14 | 8x100=800 |
| मै. विनोद कुमार एण्ड सन्ज | 5 | 2015 | 17 | 8.4.13, 8.9.13, 9.4.14, 12.5.14, 8.8.14, 8.9.14, 9.10.14, 8.12.14 | 8x100=800 |
| मै. विजय कुमार एण्ड सन्ज | 6 | 2015 | 20 | 8.4.13, 8.1.14, 9.4.14, 12.5.14, 8.9.14, 8.12.14 | 6x100=600 |
| मै. रवि चन्द नरेन्द्र कुमार | 7 | 2015 | 23 | 8.4.13, 8.1.14, 9.4.14, 12.5.14, 8.9.14, 8.12.14 | 6x100=600 |
| मै. चोपड़ा फ्रूट | बूथ–1 | 1415 | 26 | 8.4.13, 8.1.14, | 6x100=600 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| कंपनी | | | | 9.4.14, 12.5.14, 9.9.14, 8.12.14 | |
| मै. वैष्णो फ्रूट कंपनी | बूथ–2 | 5000 | 29 | 8.4.13, 8.1.14, 9.4.14, 12.5.14, 8.8.14, 8.9.14, 8.12.14 | 7x100=700 |
| मै. राजश्री फ्रूट कंपनी | बूथ–3 | 1415 | 32 | 8.4.13, 8.1.14, 9.4.14, 12.5.14, 8.8.14, 8.9.14, 8.12.14 | 7x100=700 |
| मै. सुरेश कुमार एण्ड कंपनी | बूथ–4 | – | 35 | 8.4.13, 8.11.14, 9.4.14, 12.5.14, 8.8.14, 8.9.14, 8.11.14 | 7x100=700 |
| मैं सुरेश कुमार मोहन लाल | बूथ–5 | 3750 | 38 | 8.4.13, 8.01.14, 9.4.14, 12.5.14, 8.8.14, 8.9.14, 8.12.14 | 7x100=700 |
| मै. अंकज फ्रूट कंपनी | बूथ–7 | 1900 | 44 | 8.4.13, 8.1.14, 9.4.14, 12.5.14, 8.9.14, 8.12.14, | 6x100=600 |
| मै. विजय डोगरा एण्ड कंपनी | बूथ–8 | 835 | 47 | 8.4.13, 8.1.14, 9.4.14, 12.5.14, 8.9.14, 8.12.14 | 6x100=600 |
| मै. जगदीश लाल अनिल कुमार | गोदाम | 400 | 48 | 8.4.13, 8.1.14, 9.4.14, 12.5.14, 8.9.14, 8.12.14 | 6x100=600 |
| | | **कुल राशि** | | | **₹9800** |

**(ख) मार्किट यार्ड नादौन**

| किरायेदार का नाम | दुकान / बूथ संख्या | मासिक किराया | किराये के रजिस्टर की पृष्ठ संख्या | किराय के वसूली की दिनांक (दिनांक 8 से 15 तक) | दिनांक 15 के पश्चात किराये की वसूली | जुर्माने की राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मै. गुलवन्त सिंह | 1 | 1403 | 1 | 8.4.13, 8.10.13, 9.4.14, 9.6.14, 9.9.14, 13.10.14, 14.11.14, 16.12.14, 15.1.15, 9.2.15, 10.3.15 | – | 11x100=1100 |
| मै. हरदेश कुमार | 2 | 1403 | 2 | 8.4.13, 8.10.13, 10.4.14, 12.5.14, 9.6.14, 9.9.14, | 16.12.14, 16.2.15, 24.3.15 | 8x100=800<br>35x20=700 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13.10.14, 15.1.15 | | |
| मै. वैष्णो फ्रूट कंपनी | 3 | 1403 | 3 | 8.4.13, 12.8.13, 8.10.13, 9.4.14, 12.5.14, 9.6.14, 9.9.14, 13.10.14, 14.11.14, 15.1.15, 9.2.15. 10.3.15 | 16.12.14 | 12x100=1200 9x20=180 |
| मै. भोला फ्रूट कंपनी | 4 | 1403 | 4 | 8.4.13, 10.4.14, 12.5.14, 9.6.14, 14.11.14, 9.2.15 | 22.11.13, 19.9.14, 16.12.14, 24.3.15 | 6x100=600 53x20=1060 |
| मै. कानूनगो फ्रूट कंपनी | 5 | 1403 | 5 | 8.4.13, 8.10.13, 9.4.14, 9.6.14, 9.9.14, 13.10.14, 14.11.14, 15.1.15, 9.2.15, 10.3.15 | 16.12.14 | 10x100=1000 9x20=180 |
| मै. सागर फ्रूट कंपनी | 6 | 1403 | 6 | 8.4.13, 8.10.13, 9.4.14, 9.6.14, 9.9.14, 13.10.14, 14.11.14, 15.1.15, 9.2.15, 10.3.15 | 16.12.14 | 10x100=1000 9x20=180 |
| मै. राज फ्रूट कंपनी | 7 | 6600 | 12 | — | 24.6.15 | 17x20=340 |
| मै. वैष्णो फ्रूट कंपनी | 8 | 1573 | 10 | 8.4.13, 12.8.13, 8.10.13, 9.12.13, 9.4.14, 12.5.14, 9.6.14, 9.9.14, 13.10.14, 14.11.14, 15.1.15, 9.2.15,10.3.15 | 16.12.14 | 13x100=1300 9x20=180 |
| मै. चोपड़ा फ्रूट कंपनी | 8 | 1403 | 11 | 9.1.14, 9.4.14, 12.5.14, 8.12.14 | — | 4x100=400 |
| मै. गुरू कृपा फ्रूट कंपनी | 10 | 1634 | 9 | 8.4.13, 12.8.13, 11.9.13, 8.10.13, 14.12.13, 11.1.14, 11.2.14, 10.4.14, 12.5.14, 9.6.14, 9.9.14, 13.10.14, 14.11.14, 15.1.15, 14.2.15, 14.3.15 | 25.11.13 16.12.14 | 16x100=1600 27x20=540 |
| मै. गुलवन्त | 11 | 1403 | 7 | 8.4.13, 8.10.13, | 16.12.14 | 10x100=1000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सिंह फ्रूट कंपनी | | | | 9.4.14, 9.6.14, 9.9.14, 13.10.14 14.11.14 15.1.15, 9.2.15, 10.3.15 | | 9x20=180 |
| मै. चांद फ्रूट कंपनी | 12 | 1403 | 8 | 8.4.13, 8.10.13, 11.2.14, 10.4.14, 9.6.14, 9.9.14, 14.11.14, 15.1.15, 13.2.15, 10.3.15 | 16.12.14 | 10x100=1000<br>9x20=180 |
| | | | कुल राशि | | | **₹14720.00** |

**(ग) मार्किट यार्ड जाहू**

| किरायेदार का नाम | दुकान /बूथ संख्या | मासिक किराया | किराये के रजिस्टर की पृष्ठ संख्या | किराय वसूली की दिनांक (दिनांक 8 से 15 तक) | दिनांक 15 के पश्चात किराये की वसूली | जुर्माने की राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मै. ठाकुर फ्रूट कंपनी | 1 | 1250 | 3 | 8.4.13, 9.7.13, 9.12.13, 8.1.14, 11.2.14, 11.3.14, 15.7.14, 8.1.15, 11.2.15 | 26.9.14<br>17.12.14<br>16.3.14 | 9x100=900<br>38x20=760 |
| मै. विशाल फ्रूट कंपनी | 2 | 1250 | 6 | 8.4.13, 9.7.13, 9.12.13, 8.1.14, 13.10.14, 8.12.14, 11.2.15 | 28.8.14<br>25.9.14<br>16.3.15 | 7x100=700<br>48x20=960 |
| मै. सुरिन्द्र सिंह एण्ड सन्ज | 3 | 1250 | 9 | 8.4.13, 9.7.13, 9.12.13, 8.1.14, 13.10.14, 8.12.14, 11.2.15 | 28.8.14<br>25.9.14<br>16.3.15 | 7x100=700<br>48x20=960 |
| मै. धनी राम एण्ड ब्रोस | 4 | 1250 | 12 | 8.4.13, 9.7.13, 9.12.13, 8.1.14, 12.3.14, 13.10.14 | 28.8.14<br>25.9.14 | 6x100=600<br>39x20=780 |
| मै. हिमाचल फ्रूट कंपनी | 5 | 1250 | 15 | 8.4.13, 9.7.13, 7.9.13, 9.12.13, 8.1.14, 13.10.14, 8.12.14, 11.2.15 | 29.8.14<br>26.9.14<br>16.3.15 | 8x100=800<br>50x20=1000 |
| मै. लक्ष्मी फ्रूट कंपनी | 6 | 1250 | 18 | 8.4.13, 9.7.13, 7.9.13, 12.11.13, 9.12.13, 13.1,14, 11.2.14, 8.12.14 11.2.15 | 25.8.14<br>25.9.14<br>16.3.15 | 9x100=900<br>45x20=900 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मै. सैनी जैविक उत्पाद | 7 | 1250 | 21 | 8.7.13, 9.7.13, 9.12.13, 8.1.14, 11.3.14, 13.10.14, 8.12.14, 11.2.15 | 29.8.14 26.9.14 16.3.15 | 8x100=800 50x20=1000 |
| मै. प्रेसिडेंट मेडिकल जैविक उत्पाद | 8 | 1250 | 24 | 8.4.13, 9.7.13, 9.12.13, 11.2.14, 11.3.14, 13.10.14, 8.12.14, 11.2.15 | 21.1.14 29.8.14 26.9.14 16.3.15 | 8x100=800 64x20=1280 |
| मै. संधु फ्रूट ग्रेन ट्रैडर | गोदाम | 3515 | 27 | 8.4.13, 8.5.13, 9.7.13 | | 3x100=300 |
| मै. भारत फ्रूट ग्रेन ट्रैडर | गोदाम | 3515 | 30 | 8.4.13, 9.7.13 | | 2x100=200 |
| मै. रमेश चन्द एण्ड सन्स | गोदाम | 3515 | 33 | 8.4.13, 9.7.13, 9.12.13, 8.1.14 13.10.14, 8.12.14, 11.2.15 | 29.8.14 26.914 16.3.15 | 7x100=700 50x20=1000 |
| | | | **कुल राशि** | | | **₹16040** |

अतः किरायेदारों द्वारा उपयुक्त वर्णित किराये की राशियों को अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार समय पर जमा न करने पर भी उनमें जुर्माने के रूप में वसूली योग्य राशि को वसूलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा जुर्माने की ₹40560 की अविलम्ब क्षतिपूति उचित स्त्रोत से करके, इसे मण्डी समिति के खाते में जमा करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 6 उप यार्ड जाहू के गोदाम नम्बर 1 एवं 2 को किराए पर आवंटित न करने के फलस्वरूप ₹140600 की हानि के सन्दर्भ में

जांच के दौरान पाया कि उप यार्ड जाहू के गोदाम–1 व 2 को दिनांक 31.7.2013 को किरायेदारों द्वारा खाली कर दिया गया था, जिनकी किराये की राशि प्रति गोदाम ₹3515 निर्धारित की गई थी। दिनांक 31.7.2013 के पश्चात उक्त दुकानों को पुनः किराये पर आवंटित करने के लिए कोई भी कार्रवाई ने करने के कारण उक्त वर्णित गोदाम खाली रहे, जिससे समिति को दिनांक 1.8. 2013 से 31.3.2015 के दौरान (20x3515x12=₹140600) की वित्तीय हानि हुई। अतः उप यार्ड जाहू के उक्त गोदामों को किराये पर न देने एवं वांछित कार्रवाई न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा प्रशासन को यह परामर्श दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में उचित कार्रवाई करके उक्त गोदामों को किराये पर दिया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि समिति की आय की बढ़ौतरी की जा सके एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 7 Food grains पर मण्डी शुल्क की वसूली क्रय मूल्य पर करने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया कि कृषि उपज मण्डी समिति हमीरपुर द्वारा कुल मण्डी शुल्क का 59% से 75% भाग Food grains पर मण्डी शुल्क के रूप में प्राप्त किया जाता है अर्थात मण्डी शुल्क का मुख्य स्त्रोत Food grains है, लेकिन समिति द्वारा Food grains पर मण्डी शुल्क की वसूली क्रय मूल्य पर की जाती है, जबकि कृषि उपज मण्डी कांगड़ा में Food grains पर मण्डी शुल्क की वसूली क्रय मूल्य में 5% Profit margin जमा करके की जाती है। इस प्रकार मण्डी शुल्क की वसूली क्रय मूल्य पर करने से समिति को प्रतिवर्ष लाखों रूपये की हानि हो रही है एवं समिति द्वारा व्यापारियों को अनुचित लाभ प्रदान किया जा रहा है। अतः Food grains पर मण्डी शुल्क की वसूली क्रय मूल्य पर करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सब्जी मण्डी कांगड़ा द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही मण्डी शुल्क की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए, ताकि समिति की आय में वृद्धि हो सके एवं इसका उपयोग व्यापारियों/किसानों के कल्याण कार्यों हेतु किया जा सके। वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में प्राप्त मण्डी शुल्क का विवरण निम्न प्रकार से है।

| वर्ष | फल एवं सब्जी पर प्राप्त मण्डी शुल्क | Food grains पर प्राप्त मण्डी शुल्क | User Charges | कुल प्राप्त मण्डी शुल्क |
|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | 3729318 | 5378945 | – | 9108263 |
| 2014–15 | 907655 | 6674446 | 1246387 | 8828488 |

## 8 लाईसैंसधारकों से निर्धारित प्रपत्र पर रिटर्न प्राप्त न करना एवं मण्डी शुल्क की वसूली न करना

अंकेक्षण अवधि में विभिन्न फर्मों/व्यापारियों से प्राप्त मण्डी शुल्क से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच पड़ताल करने पर पाया कि निम्नलिखित व्यापारियों से उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई अवधि में निर्धारित प्रपत्र **"ओ"** फार्म पर रिटर्न प्राप्त नहीं की गई थी और न ही मण्डी शुल्क की वसूली की गई थी, जबकि नियमानुसार प्रत्येक मास के अन्त में फर्मों द्वारा किए गए व्यवसाय का विवरण **"ओ"** फार्म पर दिया जाना अपेक्षित था तथा तदानुसार ही मण्डी शुल्क की वसूली भी की जानी चाहिए थी।

| क्र0 सं0 | व्यापारियों/लाईसैन्सधारकों का नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | मै. भगत राम नथु राम, महारल | 16.03.2015 से 31.03.2015 |
| 2 | मै. नीटू गुप्ता एण्ड बोस, सुजानपुर | 01.03.2015 से 31.03.2015 |
| 3 | मै. हंस राज प्रीतम चन्द, हमीरपुर | 01.02.2015 से 31.03.2015 |
| 4 | मै. अशोका ब्राण्ड स्पाइस, भेरडा | 16.03.2015 से 31.03.2015 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | मै. अजय कुमार एण्ड कंपनी, हमीरपुर | 01.03.2015 से 31.03.2015 |
| 6 | मै. देव राज सुरेश कुमार, हमीरपुर | 01.03.2015 से 31.03.2015 |
| 7 | मै. टौणी देवी टिम्बर कंपनी, टौणी देवी | 01.08.2014 से 31.03.2015 |
| 8 | मै. राजेंद्र कुमार अरोड़ा एण्ड सन्स, भरेडी | 16.03.2015 से 31.03.2015 |
| 9 | मै. जगदीश राम एण्ड सन्स, पटलांदर | 01.03.2015 से 31.03.2015 |
| 10 | मै. अनु एंटरप्राइसिस, सुजानपुर | 16.03.2015 से 31.03.2015 |
| 11 | मै. अमर नाथ शालिग राम, कमलाह | 01.07.2012 से 31.03.2015 |
| 12 | मै. जैन फ्रूट कंपनी, सुजानपुर | 19.03.2015 से 31.03.2015 |
| 13 | मै. मदन ट्रेडिंग कंपनी, डुघा | 08.11.2014 से 31.03.2015 |
| 14 | मै. साई टिम्बर ट्रैडर, बोंखड. | 01.01.2015 से 31.03.2015 |
| 15 | मै. वेरका मिल्क एजेंसी, हमीरपुर | 01.02.2015 से 31.03.2015 |
| 16 | मै. टिम्बर सेल डिपोट, ढबीरी | 26.02.2015 से 31.03.2015 |
| 17 | मै. विनोद फर्नीचर वर्क, कोठी | 26.03.2015 से 31.03.2015 |
| 18 | मै. राकेश टिम्बर ट्रैडर, हमीरपुर | 16.10.2014 से 31.03.2015 |
| 19 | मै. न्यू हरिओम टिम्बर, नादौन | 01.01.2015 से 31.03.2015 |
| 20 | मै. अजय ट्रैडर, टिहरी | 24.03.2015 से 31.03.2015 |
| 21 | मै. खरयाल टिम्बर हाउस, बड़सर | 12.03.2015 से 31.03.2015 |
| 22 | मै. सलोचना वूडन इंडस्ट्री, सेर | 19.03.2015 से 31.03.2015 |
| 23 | मै. अरूणा टिम्बर सेल डिपो, सुजानपुर | 16.03.2015 से 31.03.2015 |
| 24 | मै. गौरव एंटरप्राइसिस, बिरडी बलोह | 20.12.2014 से 31.03.2015 |
| 25 | मै. दिल्ली शॉप, सलौनी | 06.01.2015 से 31.03.2015 |
| 26 | मै. मेहर ट्रैडर, धमरोल | 11.12.2014 से 31.03.2015 |
| 27 | मै. दतयाल टिम्बर स्टोर, सुकर खड | 21.05.2014 से 31.03.2015 |
| 28 | मै. पो पो चिकन शॉप, हमीरपुर | 16.02.2015 से 31.03.2015 |
| 29 | मै. राम स्वरूप फ्रूट कंपनी, नगरोटा गाजियां | 20.10.2014 से 31.03.2015 |
| 30 | मै. ए के सेल्स, भोटा | 01.03.2015 से 31.03.2015 |
| 31 | मै. एस के एंटरप्राइसिस, कलूर | 21.03.2015 से 31.03.2015 |
| 32 | मै. आशीष टिम्बर ट्रैडर, सचूही | 19.03.2015 से 31.03.2015 |
| 33 | मै. ग्लोबल टिम्बर, बजुरी | 01.08.2014 से 31.03.2015 |
| 34 | मै. एरिया मैनेजर हि0प्र0 राज्य सिविल सप्लाई | 01.01.2015 से 31.03.2015 |

अतः नियमानुसार उक्त वर्णित व्यापारियों से **"ओ"** फार्म पर रिटर्न प्राप्त न करने तथा मण्डी शुल्क की प्राप्ति न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकारण में आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

## 9 चैक पोस्ट में की गई सामग्री की प्रविष्टियों एवं व्यापारियों द्वारा रिटर्न में दर्शाई गई सामग्री की मात्रा में अन्तर बारे

चयनित माह 9/2013 एवं 9/2014 में आय की जांच में पाया कि चैक पोस्ट में विभिन्न व्यापारियों द्वारा आयात की गई फल–सब्जी की प्रविष्टियों एवं व्यापारियों द्वारा **"ओ"** फार्म में भरी रिटर्न में दर्शाई गई सामग्री में भारी अन्तर था अर्थात व्यापारियों द्वारा रिटर्न में कम सामग्री की मात्रा दर्शाकर मण्डी शुल्क के रूप में कम राशि जमा करवाई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

| क्र0 सं0 | व्यापारियों का नाम | 9/13 में चैक पोस्ट की मात्रा एवं रिटर्न में दर्शाई मात्रा में अन्तर का विवरण | 9/14 में चैक पोस्ट की मात्रा एवं रिटर्न में दर्शाई मात्रा मं अन्तर का विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | M/s Nand Lal Ramesh Kumar Shop-1<br>M/s Suresh Kumar Mohan Lal Shop-2<br>M/s Vaishnoo Fruit co. Booth-2 | 2496 Karate approx.(Banana) | – |
| 2 | M/s Ravi Kumar & Sons. Shop-7<br>M/s Vijay Kumar & Sons Shop-6<br>M/s Ankaj Fruit Co. Booth-7 | 146 QTL approx | 233 QTL approx |
| 3 | M/s Jagdish Lal, Shop-3 | 166 QTL approx | – |
| 4 | M/s Vinod Kumar, Shop-5 | 158 QTL approx | – |

उपरोक्त अनियमितता बारे ही अंकेक्षण अधियाचना संख्या 159 दिनांक 5.10.2015 द्वारा सूचना सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, हमीरपुर को दी गई थी, जिसके सन्दर्भ में सचिव मण्डी समिति द्वारा पत्र संख्या एम0सी0एच0/2–16/93–भाग–3–1125, दिनांक 6.10.2015 द्वारा उपरोक्त आपत्ति को स्वीकार करते हुए अंकेक्षण को सूचित किया गया कि मै. नन्द लाल रमेश कुमार शॉप नम्बर 1, कृषि उपज मण्डी, हमीरपुर के 9/2013 के अभिलेखों के अवलोकन पर 2496 क्रेट की कम बिक्रो दर्शाई गई थी, जिसके बिक्रय मूल्य (2496x200=₹499200) के ₹4992 का मण्डी शुल्क की ₹4992 रसीद संख्या 39490 दिनांक 6.10.2015 द्वारा वसूल कर ली गई थी एवं इसकी पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है। इसके अतिरिक्त अन्य व्यापारियों द्वारा रिटर्न में फल व सब्जी की मात्रा कम दर्शाने बारे यह तर्क दिया गया कि चैक पोस्ट/बैरियर पर सामग्री की अनुमानित मात्रा दर्ज की जाती है एवं फल व सब्जी की अधिकतम मात्रा गल–सड़ जाती है, जोकि

सही प्रतीत नहीं होती है। अतः उक्त व्यापारियों की चयनित माहों में कम मात्रा दर्शाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं चयनित माहों के अतिरिक्त अन्य माहों की रिटर्न की जांच संस्था द्वारा अपने स्तर पर करनी सुनिश्चित की जाए तथा अगर व्यापारियों द्वारा कम बिक्री दर्शाई गई हो तो तदानुसार मण्डी शुल्क की वसूली सम्बन्धित व्यापारियों से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए एवं भविष्य में इस प्रकार की गलती दोहराने से परिहार किया जाए।

## 10 हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिकी उपज विपणन अधिनियम 2005 के नियम 45(3) के अनुसार मण्डी शुल्क के रूप में ₹2339424 की वसूली न करने बारे

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकी उपज विपणन अधिनियम 2005 के नियम 45(2) के अनुसार व्यापारियों द्वारा बिक्रय के 14 दिन के भीतर मण्डी शुल्क की राशि समिति के कार्यालय में जमा की जानी अपेक्षित होती है अन्यथा नियम 45(3) के अनुसार मण्डी शुल्क का 5 गुणा वसूला जाना अपेक्षित होता है। कृषि उपज मण्डी समिति हमीरपुर के विभिन्न व्यापारियों के रिटर्न से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करने पर पाया कि निम्नलिखित व्यापारियों द्वारा नियमानुसार समय पर मण्डी शुल्क का भुगतान नहीं किया था, लेकिन उनमें मण्डी शुल्क की वसूली साधारण दर अर्थात 1% की दर पर की गई थी, जबकि नियम 45(3) के अनुसार मण्डी शुल्क का 5 गुणा वसूलना अपेक्षित था। इस प्रकार मण्डी समिति द्वारा व्यापारियों से नियमानुसार मण्डी शुल्क की वसूली न करके उन्हें अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा तथा नियमानुसार मण्डी शुल्क की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं। मण्डी शुल्क की कम वसूली का विवरण निम्न प्रकार से है।

| क्र0 सं0 | व्यापारियों का नाम | व्यापार की अवधि | मण्डी शुल्क की वसूली की रसीद सं0 | दिनांक | मण्डी शुल्क की वसूली गई राशि | नियम 45(3) के अनुसार मण्डी शुल्क की वसूली योग्य राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मै. बलदेव ऐग्ग स्टोर, लदरौर | 31.8.11 से 31.10.14 | 36619 | 15.11.14 | 4324 | 21620 |
| 2 | मै. बलदेव ऐग्ग स्टोर, लदरौर | 1.11.14 से 15.3.15 | 37759 | 21.3.15 | 2832 | 14160 |
| 3 | मै. ठाकुर स्टोर, हमीरपुर | 16.10.12 से 31.8.13 | 29843 | 3.1.14 | 5583 | 27915 |
| 4 | मै. ठाकुर स्टोर, हमीरपुर | 1.9.13 से 30.11.14 | 36676 | 15.12.14 | 10558 | 52790 |
| 5 | मै. नरदीप पौल्ट्री, नादौन | 1.7.12 से 15.1.14 | 29887 | 16.1.14 | 1070 | 5350 |
| 6 | मै. नरदीप | 16.1.14 से | 38189 | 30.4.15 | 2960 | 14800 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पौल्ट्री, नादौन | 31.3.15 | | | | |
| 7 | मै. नीता गुप्ता एण्ड सन्स, सुजानपुर | 31.3.13 से 31.3.14 | — | 20.6.14 | 14660 | 73300 |
| 8 | मै. नीता गुप्ता एण्ड सन्स, सुजानपुर | 1.4.14 से 28.2.15 | — | 19.3.15 | 3690 | 18450 |
| 9 | मै. नीता गुप्ता एण्ड सन्स, सुजानपुर | 1.3.15 से 31.3.15 | — | 15.7.15 | 100 | 500 |
| 10 | मै. टूड़े मिल्क एजेंसी | 20.2.13 से 30.3.13 | 38192 | 30.4.15 | 42399 | 211995 |
| 11 | मै. टूड़े मिल्क एजसी | 1.7.13 से 31.3.14 | 38492 | 18.6.15 | 43750 | 218750 |
| 12 | मै. टूड़े मिल्क एजेंसी | 1.4.14 से 31.3.15 | 39664 | 19.8.15 | 24767 | 123835 |
| 13 | मै. हंस राज प्रीतम चंद, हमीरपुर | 1.4.13 से 31.1.15 | 37676 | 21.2.15 | 10143 | 50715 |
| 14 | मै. अशोका ब्रांड स्पाईस | 10.6.13 से 31.5.15 | 37675 | 21.2.15 | 7387 | 36935 |
| 15 | मै. अबरोल टिम्बर डिपोट, जाहू | 21.2.15 से 31.3.15 | 38161 | 23.4.15 | 1341 | 6705 |
| 16 | मै. अजय कुमार एण्ड कंपनी हमीरपुर | 1.4.14 से 31.12.14 | 37610 | 24.1.15 | 11036 | 55180 |
| 17 | मै. टौणी देवी टिम्बर, टौणी देवी | 13.8.12 से 31.3.13 | 25725 | 4.7.13 | 2709 | 13545 |
| 18 | मै. टौणी देवी टिम्बर, टौणी देवी | 1.4.13 से 31.7.14 | 34123 | 19.12.14 | 5562 | 27810 |
| 19 | मै. राजेन्द्र कुमार अरोड़ा एण्ड सन्स, भरेडी | 1.4.13 से 31.3.14 | 34019 | 4.6.14 | 6636 | 33180 |
| 20 | मै. रमेश चन्द एण्ड ब्रोस सलग्वान | 1.1.14 से 31.3.14 | 34021 | 5.6.14 | 6711 | 33555 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | म. हिल टॉप टिम्बर सेल डिपोट, ताल | 31.10.13 से 31.3.14 | 34042 | 12.6.14 | 12347 | 61735 |
| 22 | मै. अमरटैक्स इंडस्ट्री सीमित, हमीरपुर | 30.12.12 से 31.5.13 | 25774 | 25.7.13 | 1980 | 9900 |
| 23 | मै. अमरटैक्स इंडस्ट्री सीमित, हमीरपुर | 1.6.13 से 31.3.14 | 33547 | 13.5.14 | 2805 | 14025 |
| 24 | मै. विधि चन्द शर्मा, डिपोट होल्डर हमीरपुर | 16.12.14 से 31.3.15 | 38557 | 2.7.15 | 7142 | 35710 |
| 25 | मै. जगदीश राम एण्ड सन्स, पट्लांदर | 11.3.14 से 15.7.14 | 34829 | 19.8.14 | 5056 | 25280 |
| 26 | मै. कृष्ण कुमार एण्ड सन्स, नादौन | 1.9.14 से 30.9.14 | 36623 | 19.11.14 | 20403 | 102015 |
| 27 | मै. सुशील ब्रोस, नादौन | 1.11.13 से 31.12.13 | 29974 | 17.2.14 | 4576 | 22880 |
| 28 | मै. ज्ञान चन्द संतोष कुमार, गलोड़ | 1.1.14 से 31.3.14 | 32152 | 30.9.14 | 11299 | 56495 |
| 29 | मै. प्रवीण कत्ना टिम्बर, हमीरपुर | 20.6.13 से 27.10.14 | 36665 | 11.12.14 | 4882 | 24410 |
| 30 | मै. रत्न एण्ड सन्स, बतरूड़ा | 1.8.13 से 31.10.13 | 18533 | 28.1.14 | 6387 | 31935 |
| 31 | मैं, संतोषी फूड प्रॉडक्ट, भोटा | 1.5.14 से 1.11.14 | 36528 | 7.2.15 | 37504 | 187520 |
| 32 | मै. मदन ट्रेडिंग कंपनी, डुघा | 8.11.14 से 31.3.15 | 39736 | 10.9.15 | 2460 | 12300 |
| 33 | मै. वेरका मिल्क एजेंसी, हमीरपुर | 1.4.13 से 30.5.13 | 25744 | 11.7.13 | 26650 | 133250 |
| 34 | मै. वेरका मिल्क एजेंसी, हमीरपुर | 1.6.13 से 31.3.14 | 34973 | 20.9.14 | 114088 | 570440 |
| 35 | मै. योगेश फ्रूट कंपनी, तर्कबाड़ी | 24.7.14 से 31.3.15 | 39631 | 4.8.15 | 2300 | 11500 |
| 36 | मै. मैट्रो ट्रेडिंग कंपनी, हमीरपुर | 1.2.15 से 31.3.15 | 36594 | 20.5.15 | 17040 | 85200 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | मै. हमीर टिम्बर ट्रैडर, हमीरपुर | 1.4.13 से 31.5.13 | 28437 | 23.8.13 | 5540 | 27700 |
| 38 | मै. हमीर टिम्बर ट्रैडर, हमीरपुर | 1.6.13 से 30.9.13 | 29825 | 27.12.13 | 6993 | 34965 |
| 39 | मै. हमीर टिम्बर ट्रैडर, हमीरपुर | 1.10.13 से 31.3.15 | 38473 | 11.6.15 | 8844 | 44220 |
| 40 | इचाज, मिल्क चिलिंग सैंटर, जलाड़ी | 1.4.13 से 30.6.13 | 28470 | 5.9.13 | 3316 | 16580 |
| 41 | इचार्ज, मिल्क चिलिंग सैंटर, जलाड़ी | 1.7.13 से 30.9.13 | 27526 | 4.12.13 | 2259 | 11295 |
| 42 | इचार्ज, मिल्क चिलिंग सैंटर, जलाड़ी | 1.10.13 से 31.12.13 | 29994 | 21.2.14 | 2433 | 12165 |
| 43 | इचार्ज, मिल्क चिलिंग सैंटर, जलाड़ी | 1.4.14 से 30.6.14 | 34944 | 10.9.14 | 5138 | 25690 |
| 44 | इचार्ज, मिल्क चिलिंग सैंटर, जलाड़ी | 1.7.14 से 30.9.14 | 36640 | 26.11.14 | 2372 | 11860 |
| 45 | इचार्ज, मिल्क चिलिंग सैंटर, जलाड़ी | 1.10.14 से 31.12.14 | 37626 | 4.2.15 | 3164 | 15820 |
| 46 | मै. रमेश चन्द देव राज, घलोल | 1.4.13 से 31.3.14 | 34847 | 25.8.14 | 39945 | 199725 |
| 47 | मै. खरयाल टिम्बर हाउस, बडसर | 7.12.13 से 24.3.14 | 33577 | 26.5.14 | 6217 | 31085 |
| 48 | मै. खरयाल टिम्बर हाउस, बडसर | 24.3.14 से 29.7.14 | 34925 | 9.9.14 | 13272 | 66360 |
| 49 | मै. वीना ऐग्ग स्टोर, ननाना | 13.10.14 से 31.3.15 | 38536 | 25.6.15 | 226 | 1130 |
| | | | | **योग** | **₹584856** | **₹2924280** |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि व्यापारियों द्वारा बिक्री के 1 से 3 वर्ष पश्चात समिति को मण्डी शुल्क का भुगतान किया गया था, जिससे समिति को ब्याज के रूप में वित्तीय हानि हुई। इसके अतिरिक्त इनसे एवं समिति द्वारा मण्डी शुल्क वसूलने की प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी प्रश्न

चिन्ह लगाता है। अतः मण्डी शुल्क की देय तिथि के 1 से 3 वर्ष पश्चात इसे वसूलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ नियमानुसार उचित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

## 11 दुकानों के किराये पर सेवा कर के रूप में ₹556092 का भुगतान करने बारे

जांच में पाया कि मण्डी समिति द्वारा निम्न विवरणानुसार समिति की दुकानों के किराये पर सेवा कर के रूप में ₹556092 का भुगतान Commissioner, Central Excise & Serviece tax को समिति की आय से किया गया था, जबकि इसका भुगतान दुकानां के किराएदारों से वसूल करके किया जाना अपेक्षित था।

| वाउचर संख्या | सेवा कर के भुगतान की अवधि | राशि |
|---|---|---|
| वाउचर संख्या 12, दिनांक 9.4.14 | 1.6.07 से 30.9.11 | 256379 |
| वाउचर संख्या 120, दिनांक 22.11.14 | 1.10.11 से 30.9.12 | 65980 |
| वाउचर संख्या 115, दिनांक 20.11.14 | 1.10.12 से 30.9.13 | 96042 |
| वाउचर संख्या –, दिनांक 5.8.14 | 1.10.13 से 31.3.15 | 137691 |
| | **कुल भुगतान की गई राशि** | **₹556092** |

अतः उक्त अवधि में सेवा कर के रूप में किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित दुकानों के किरायेदारों से न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं शीघ्र इसकी वूसली उचित स्त्रोत से करके अपेक्षित राशि कृषि उपज मण्डी समिति के खाते में जमा करना सुनिश्चित की जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 12 बिना निविदायें आमन्त्रित किए ₹7810 की सामग्री का क्रय करने बारे

चयनिम माह 12/2013 के खचो की जांच के दौरान पाया कि मण्डी समिति द्वारा निम्न विवरणानुसार सामग्री का क्रय बिलों छोटे–छोटे भागों में विभाजित करके किया गया था, ताकि निविदायें आमन्त्रित करने की प्रक्रिया से बचा जा सके, जोकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के नियम 100 के अनुसार निषेध है। यदि सामग्री का क्रय निविदायें आमन्त्रित करके किया जाता तो बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सकता था। अतः बिना निविदायें आमन्त्रित किए की गई खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इस अनियमितता को नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में नियमों के अनुसार ही निविदायें आमन्त्रित करके क्रय करना सुनिश्चित किया जाए।

| वाउचर संख्या | बिल का विवरण | सामग्री का विवरण | राशि |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 121, दिनांक 27.12.13 | Bill No. 5381 Dated 11.12.13, M/s Aryan Technology, Hamirpur | 1X850 VA UPS | 2900 |
| 121, दिनांक 27.12.13 | Bill No. 5382 Dated 11.12.13, M/s Aryan Technology, Hamirpur | D-Link Wireless Modem | 2450 |
| 121, दिनांक 27.12.13 | Bill No. 5402 Dated 13.12.13, M/s Aryan Technology, Hamirpur | Computer Accessory | 2460 |
| | | **योग** | **7810** |

**13** **लघु आपत्ति विवरणी** :— इसे अलग से जारी नहीं किया गया। अपितु छोटी—छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

**14** **निष्कर्ष** :— लेखों में सुधार की आवश्यकता है एवं पूर्व की अंकेक्षण प्रतिवेदनों में लम्बित पैरों पर उचित कार्रवाई करने के उपरान्त शीघ्र अतिशीघ्र समायोजित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

हस्ता / —
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0) एच(2) सी (15)(14)132 / 89 खण्ड—4—1987—89 दिनांक, 04.04.16 शिमला—9

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृतः
1. सचिव, मण्डी समिति हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।
2. प्रबन्ध निदशक, विपणन बोर्ड, विपणन भवन खलीनी, शिमला—171002
3. अवर सचिव, (कृषि) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—2

हस्ता / —
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

**परिशिष्ट–"क"**

**पैरा संख्या 1 (से सन्दर्भित)**

**(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2006**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–16 | अंशतः निर्णीत | (क्रम संख्या 5, 6 व 7 की वसूली शेष है) |

**(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–6 | निर्णीत | (पैरे के क्रमांक संख्या 4,5 एवं 7 में वर्णित व्यापारियों से रिटर्न प्राप्त कर ली गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया) |
| 2 | पैरा–8 | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा–9 | अनिर्णीत | |

**(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा–3 | निर्णीत | (अंकेक्षण शुल्क प्राप्त होने के दृष्टिगत) |
| 2 | पैरा–4 | निर्णीत | (पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित दी गई है) |
| 3 | पैरा–5 | निर्णीत | (पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित दी गई है) |
| 4 | पैरा–6 | निर्णीत | (पैरे में वर्णित लाईसैन्सधारकों से निर्धारित प्रपत्र **"O"** पर वर्णित अवधि की रिटर्न प्राप्त हो चुकी है एवं इसकी पुष्टि के उपरान्त पैरा समाप्त) |
| 5 | पैरा–7 | निर्णीत | (संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त) |
| 6 | पैरा–8 | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा–9 | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा–10 | अनिर्णीत | |
| 9 | पैरा–11 | निर्णीत | (संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त) |
| 10 | पैरा–12 | निर्णीत | (गाड़ी संख्या HP-22C-9292 की लोग बुक की |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | जांच के उपरान्त एवं संस्था के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरे का समायोजन कर दिया गया) |
| 11 | पैरा–13 | निर्णीत | (अभिलेखों की जांच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया) |
| 12 | पैरा–14 | अनिर्णीत | |
| 13 | पैरा–15(क) | निर्णीत | (₹55 की वसूली रसीद संख्या 18520 दिनांक 23.12.2013 द्वारा कर ली गई है। अतः पैरा समाप्त) |
| | पैरा–15(ख) | निर्णीत | (₹59 की वसूली रसीद संख्या 18521 दिनांक 23.12.2013 द्वारा कर ली गई है। अतः पैरा समाप्त) |
| | पैरा–15(ग) | निर्णीत | (अभिलेखों की जांच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया) |

## अनिर्णीत पैरों का विवरण

| | |
|---|---|
| प्रारम्भिक शेष | 17 |
| अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2015 में प्रारूपित पैरे | (+)10 |
| वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरे | (–)10 |
| अन्तशेष (अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2015 तक) | 17 |